

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2137  
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 09 दिसंबर, 2024  
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

मैंगलोर के मंगलादेवी मंदिर का नवीकरण

**2137. कैप्टन बृजेश चौटा:**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा मैंगलोर के मंगलादेवी मंदिर जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्थल है, में नवीकरण कार्य और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 2023 के प्रतिवेदन की सिफारिश पर कोई कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस नवीनीकरण कार्य के प्रति एएसआई के रवैये का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विशेष रूप से मंदिरों और धार्मिक महत्व की संरचनाओं के लिए जीर्णोद्धार या नवीकरण की 'स्वदेशी प्रणालियों और पारंपरिक प्रथाओं' को अपनाएँगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार की स्थानीय बस्तियों और अन्य प्रसंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए संरक्षित स्मारकों के 200 मीटर के आसपास विनियमित क्षेत्र में ढील देने पर विचार करने की कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर  
संस्कृति और पर्यटन मंत्री  
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): मैंगलौर स्थित मंगलादेवी मंदिर संरक्षित स्मारक है, जिसकी देखभाल और रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जल रिसाव को रोकने के लिए छत की मरम्मत तथा मैंगलौर टाइल्स का रंगाई का कार्य शुरू किया है, जिसमें परिरक्षक परत और लकड़ी के स्तंभ शामिल हैं।
- (ख): संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणी / सिफारिश प्राप्त हुई है और नोट कर ली गई है। मंगलादेवी मंदिर सहित संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय संरक्षण नीति और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है।
- (ग): जी, हाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुसार परंपरागत पद्धति का अनुसरण करते हुए, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/ स्थलों का संरक्षण और पुनरुद्धार संबंधी कार्य करता है। मंदिरों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षित स्मारकों में संरक्षण कार्य यथा संभव स्थापति, सोमपुआस, परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों से कराया जाता है।
- (घ) और (ङ): विद्यमान प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ख के अनुसार प्रतिषिद्ध सीमा से 200 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र विनियमित क्षेत्र होता है।

\*\*\*\*\*